

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / 2014

संख्या-1/व 3-129/07 उ०शि०...../ उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन राजकीय महाविद्यालयों एवं संस्थानों में कार्यरत राजपत्रित श्रेणी के पदाधिकारियों को कालबद्ध प्रोन्नति/सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना इत्यादि से संबंधित मामलों पर विचार/अनुशांसा समर्पित करने हेतु अपर सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमिटी/प्रोन्नति समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:

01	अपर सचिव, शिक्षा विभाग,	अध्यक्ष
02	निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार	सदस्य सचिव
03	संबंधित संस्थान/राजकीय महिला महाविद्यालय के स्थापना मामलों से संबंधित उप निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य
04	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकर	सदस्य
05	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव स्तर के अन्यून अनु०जाति/जनजाति के प्रतिनिधि	सदस्य
06	जिस राजकीय महाविद्यालयों/संस्थानों का प्रोन्नति का मामला रहेगा वहाँ के प्राचार्या/निदेशक	सदस्य

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव  
पटना, दिनांक

ज्ञापांक:-1/व 3-129/07 उ०शि०...../

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/व 3-129/07 उ०शि०.....1616...../.....पटना, दिनांक 09-12-2014

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 14 एवं 15/अवर सचिव, उच्च शिक्षा/उच्च शिक्षा के सभी सहायक/प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग एवं गुलजारबाग/ सभी संस्थानों के निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव

09/12